न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 270 / 2022 दायर दिनांक 18.11.2022

वादी		प्रतिवादी
1. शिवलहरी पुत्र. पुसाराम जाति जाट निवासी सानिया तहसील डीडवाना जिला डीडवाना– कुचामन राज0।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना।

राजस्व–वाद बाबत्

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

श्री हरफुलराव एडवोकेट वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 25.02.2025

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम सानिया के खेत खसरा संख्या 702 रकबा 0.9700 हे. गै.मु.रास्ता व खसरा संख्या 702 रकबा 0.9700 हे. चाही 3 कुल रकबा 0.9700 हे. की भूमि वादी के संयुक्त खातेदारी व हक अधिकार की है। उक्त भूमि में वादी का नाम भूल वश हेमाराम पुत्र पुसाराम गलत अंकित कर दिया गया है तथा वादी के सभी निर्वाचन परिचय–पत्र, अधार कार्ड, राशन कार्ड आदि दस्तावेजों में नाम शिवलहरी पुत्र पुसाराम दर्ज है। वादी का नाम खतौनी में उसके हक अधिकार व कब्जा काश्त की भूमि में गलत नाम हेमाराम पुत्र पुसाराम होने के कारण अत्यधिक असुविधा व पेरशानियों का सामना करना पड रहा है। अतः वादी का उक्त भूमि में गलत नाम हेमाराम पुत्र पुसाराम के स्थान पर सही नाम शिवलहरी पुत्र पुसाराम दर्ज किया जावें।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार हैः–

राजस्व ग्राम सानिया के खेत खसरा संख्या 702 रकबा 0.9700 हे. गै. मु.रास्ता व खसरा संख्या 702 रकबा 0.9700 हे. चाही 3 कुल रकबा 0.9700 हे. में हेमाराम पुत्र पुसाराम के स्थान पर शिवलहरी पुत्र पुसाराम खातेदारी में इन्द्राज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किया जाने का आदेश सादर फरमावें। तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर प्रार्थी शिवलहरी पुत्र पुसाराम के नाम से खातेदारी इन्द्राज किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार छोटीखाटू के पत्र क्रमांक / भू.अ. / 2024 / 1223 दिनांक 11.12.2024 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित वहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की वहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया [illegible] संख्या 702 में वादी अपना नाम हेमाराम पुत्र पुसाराम के [illegible] वलहरी पुत्र पुसाराम दुरूस्त करवाने की इस्तदुआ [illegible] रिपोर्ट के अनुसार सरहद सानिया के खसरा संख्या 70[illegible] नामा0 सं0 484 द्वारा जरिये बैचाण हेमाराम पुत्र [illegible] उक्त नामान्तरकरण में नाम हेमाराम पुत्र पुसाराम दर्ज हुआ है जबकि वादी [illegible] अंकन होने का कथन कर रहा है। वादी के कथन व साक्ष्यों में भिन्नता है इस कारण वादी किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 13:25:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

प्रकार की इस्तदुआ प्राप्त करने का अधिकारी नही है। तहसीलदार डीडवाना की रिर्पोट के अनुसार रेकर्ड का अंकन विक्रय पत्र के आधार पर हुआ है। वादी के पास विक्रय पत्र को संसोधन करवाने का वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है। विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रेकर्ड में गलत अंकन होने के कारण वादी के गलत अंकन होने के कथन को स्वीकार नही किया जा सकता है। अतः बाद विवेचन, वादी का हस्तगत वाद खारिज किया जाता है।

–:: आदेश ::–

सरहद सानिया के खसरा संख्या 702 में वादी हेमाराम पुत्र पुसाराम के स्थान पर शिवलहरी पुत्र पुसाराम दुरूस्ती बाबत वादी का हस्तगत वाद खारिज किया जाता है।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 25.02.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 13:25:41 IST
Reason: SelfAttested